IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to श्री विजय खलखो

S/O, W/O, D/O स्व0 लाजरुस खलखो Village: सामटोली खिजरी

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri/Smt. मुक्ता अलमा सोरेंग S/O, W/O, D/O स्व0 क्लेमेंट सोरेंग

Village: फुलवाटांगर बिन्धनटोली P.S: सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated......13.04.2022

in Rev, C.N.T. case No 234/2021-22

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana	Thana No	Khata No.	Plot No.	Area(in acies)	Value for Sale
खिजरी	सिमडेगा	105	156	2257	0.58 ए0 मे से 0.07 ए0	4,20,000.00

(चार लाख बीस हजार रुपये मात्र)

भूमि की चौहदी:

उत्तर – विनित खलखो का कोन

दक्षिण – इसी प्लॉट में छोड़ गया 8' का कच्चा रास्ता (अन्य सड़क)

पूरब – इसी प्लॉट का अंश

पश्चिम – इसी प्लॉट का अंश

Sd.......

L.R.D.C. Simdega

Memo No......497 (ii)....../Rev. Dated (Simdega the 13.04.2022.......

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri/Smt. श्री विजय खलखो

S/O, W/O, D/O स्व0 लाजरुस खलखो Village: सामटोली खिजरी P.S: सिमडेगा

Dist: सिमडेगा

For Information and needful

L.R.D.C. Simdega

13.4.22

कार्यालय, अंचल अधिकारी, सिमडेगा

पत्रांक 926(ii)/रा0
दिनांक 02/04/2022

से :

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सिमडेगा ।

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।

प्रसंग : अनुमति वाद संख्या 234 सन् 2021-22

1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

1) क- आवेदक (हस्तान्तरणकर्ता) का नाम पिता का नाम/पूरा पता : विजय खलखो, पिता - स्व० लाजरूस खलखो मौजा - सामटोली, बिजरी, थाना + जिला - सिमडेगा

ख- जाति : उराँव

2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : लुइयु उरांव वो टोटा उरांव पे०स० - डोन्डा उरांव
कौम - उरांव
संबंध - परपिता

3) जमीनदारी विलियन के पश्चात् उक्त जमीन की जमाबंदी संख्या तथा जमाबंदी दार का नाम : (I/253) मारकुस उरांव वो जोसेफ उरांव कोरेद पिता - लुइयु उरांव कौ०

4) वर्त्तमान जमावन्दी संख्या/ जमाबन्दी दार का नाम : —— तदैव ——

5) वर्त्तमान जमावन्दी को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : उत्तराधिकार

6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : आवेदक एवं अन्य हिस्सेदार

7) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : पोता

8) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : (क)

लुइयु उरांव
→ लुकस; मारकुस (ज. मृत); जोसेफ (ज. मृत); सामवेल → जोसेफ उरांव
लुकस → फांसिस (ज. मृत); विलियम; लाजरूस
फांसिस → पेतरूस
विलियम → एडोमब
लाजरूस → बसील (विजय) आवेदक; विनीत; फुलजेम्स
(पूर्ण वंशावली संलग्न है)

9) क्या आवेदक बड़े भू-धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है :

10) क - क्या उक्त जमीन भूदान की है :

ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित है : } नहीं

11) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : बिमारी का इलाज हेतु

12) जमीन का किस्म एवं ब्यौरा : ग्राम/थाना सं0 बिजरी/105 खाता सं0 - 156 प्लॉट सं0 - 2257 रकबा 0.58ए० में से किस्म दोन दो 0.07ए०

अंचल निरीक्षक 16/04/22

प्रधान लिपिक

13) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : 60,000/- प्रति डि०

14) जमीन का वर्त्तमान मूल्य : 4,20,000/-

15) बिक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : 18.61 डे ए० सम्मिलित

16) बिक्री के बाद शेष भूमि : 18.54 डे ए०

2. क्रेता के सम्बन्ध में

1) क- क्रेता का नाम/पिता का नाम घर का पूरा पता : मुक्ता अलमा डोंग, पिता - स्व० क्लेमेंट डोंग ग्राम - फुलवारटोंगर, बिन्धनटोली थाना + जिला - सिमडेगा

ख- जाति : खड़िया

2) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ? : एक थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

3) जमीन खरीदने का कारण/आवश्यकता : आवासीय

P- 05=00
R- 00=00
C.F- 08=00
13=00

4) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड सिलिंग का वाद चला है : नहीं

5) उसके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है : —

6) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्यौरा : नहीं

7) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/ उद्देश्य औचित्य : x

8) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकबा ब्यौरा

9) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा की शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है :

महाशय
सर्वे खतियान के अनुसार आवेदित भूमि के खतके रैयत से संबंधित वंशावली खतौते जीवित रैयतों की अनापत्ति प्राप्त है एवं खाते में सम्मिलित कुल से 18.54 ए० भूमि शेष बचती है, तदनुसार भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की जा सकती है।
ह०/अपठ
C.I.

10) अभ्युक्ति CO Simdega :

महाशय,
विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनु० ज० जाति के सदस्य हैं एवं एक थाना क्षेत्र के निवासी हैं। विक्रेता अपने हिस्से की भूमि को बिक्री करने हेतु अनुमति प्राप्त करना चाह रहे हैं। आवेदित भूमि सम्मिलात खाते की भूमि है। उक्त भूमि के बिक्री पश्चात् आवेदित खाते में 18.54 ए० भूमि शेष बचता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं अनापत्ति शपथ पत्र संलग्न है। खतियानी रैयत टेटो उरांव के वंशजों द्वारा मौखिक अनापत्ति दी गयी, अतः आवेदक को भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जा सकती है।

ह०/अपठ
RSK
23.10.21

ह०/अपठ
16/04/22
आवेदित भूमि के बिक्री हेतु अनुमति के लिए अनुशंसा सहित अग्रसारित
ह०/अपठ
अंचल अधिकारी
सिमडेगा

ह०/अपठ 16/04/22 ह०/अपठ 16/04/22
प्रधान लिपिक

अंचल अधिकारी
सिमडेगा

184
16/04/22

न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा
अनुमति वाद संख्या 234 / 2021–22

श्री विजय खलखो ....आवेदक

बनाम

मुक्ता अलमा सोरेंग ....क्रेतिका

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी सहित तारीख
1	2	3

13.4.22

आवेदक श्री विजय खलखो, पिता– स्व0 लाजरुस खलखो, ग्राम– सामटोली
खिजरी, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी
अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए
आवेदन–पत्र दायर किये है।

भूमि विवरणः–

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
खिजरी	सिमडेगा	105	156	2257	0.58 ए0 मे से 0.07 ए0

कुल रकबा (सात डिसमिल) मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को बिमारी के ईलाज हेतु प्रस्तावित क्रेतिका–
मुक्ता अलमा सोरेंग, पिता– स्व0 क्लेमेंट सोरेंग, ग्राम– फुलवाटांगर बिन्धनटोली, थाना–
सिमडेगा, जिला– सिमडेगा (जाति खड़िया) को बिक्री कर रहे हैं। आम सुचना निर्गत
की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी
के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 226(ii) / रा0, दिनांक 02.04.2022 के द्वारा
जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न
है। किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है, न ही अंचल अधिकारी के
द्वारा किसी प्रकार का विवाद का आपत्ति के संबंध मे प्रतिवेदन दिया गया है। प्रस्तावित
भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत मारकुस उराँव
वो जोसेफ उराँव वगै0 पे0 लुइयु उराँव वगै0 है। वर्तमान जमाबंदीदार मारकुस उराँव वो
जोसेफ उराँव वगै0 पे0 लुइयु उराँव वगै0 के नाम से दर्ज है। मालगुजारी आवेदक के
द्वारा दिया जाता है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव एवं खड़िया
जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि बिक्री के पश्चात
आवेदक के पास $18.54\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि शेष बचता है।

16/04/22

16/04/22 प्रधान लिपिक

13/04/2022

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं, लगान रसीद, जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0एस0सी0/2020/178695 दिनांक 08.01.2021/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या–जे0एच0आर0सी0/2020/311323/दिनांक 14.01.2021 एवं आधार संख्या 204722297777 की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न हैं। क्रेतिका की ओर से जाति प्रमाण पत्र संख्या जे0एच0सी0एस0टी0/2020/181445 दिनांक 09.01.2021/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या–जे0एच0आर0सी0/2018/651383/दिनांक 18.07.2018 एवं आधार संख्या 508137759038 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मौजा– खिजरी, खाता संख्या– 156 प्लॉट संख्या– 2257 जिसका रकबा 0.58 एकड़ मे से 0.07 एकड़ जमीन को बिमारी के ईलाज हेतु प्रस्तावित क्रेतिका– मुक्ता अलमा सोरेंग, पिता– स्व0 क्लेमेंट सोरेंग, ग्राम– फुलवाटांगर बिन्धनटोली, थाना– सिमडेगा, जिला– सिमडेगा को मो0 4,20,000.00 (चार लाख बीस हजार) रुपये मात्र में अपने राजी– खुशी से ब्रिक्री कर रहें हैं। यह हमारी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिक्री करने के बाद मेरे पास 18.54$\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन शेष बचती है। बिक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव एवं खड़िया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा– खिजरी, खाता संख्या– 156 प्लॉट संख्या– 2257 जिसका रकबा 0.58 एकड़ मे से 0.07 एकड़ जमीन आवेदक श्री विजय खलखो, पिता– स्व0 लाजरुस खलखो, ग्राम– सामटोली खिजरी, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा द्वारा क्रेतिका– मुक्ता अलमा सोरेंग, पिता– स्व0 क्लेमेंट सोरेंग, ग्राम– फुलवाटांगर बिन्धनटोली, थाना– सिमडेगा, जिला– सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री करने की......स्वीकृति......दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

कोर्ट फी ₹1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

जिला अवर निबंधक सिमडेगा

पुनश्चः तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

16/04/22

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सिमडेगा।
13.4.22

16/4/22 प्रधान लिपिक